राज्य बजट का अध्ययन व विश्लेषण

बजट समाचार

त्रैमासिक | अंक 58 | अक्टूबर - दिसम्बर 2016 | सीमित प्रसार के लिए

राजस्थान में पिछले तीन वर्षों में सामाजिक क्षेत्र की स्थिति

तीन वर्ष पहले वर्तमान राज्य सरकार विधानसभा में भारी बहुमत के साथ सत्ता में आयी थी। इन तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा सामाजिक क्षेत्र में विकास के लिये कुछ अहम कदम लिये गये जैसे भामाशाह कार्ड, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों पर पीओएस (बिक्री का प्वाइंट) मशीनों की शुरूआत, ग्रामीण गौरव सड़कें (मुख्य सड़क के साथ पंचायत मुख्यालय को जोड़ने के लिये), जल स्वावलम्बन अभियान (गांवों में पानी उपलब्ध कराने हेतु धन जुटाना), हर पंचायत में एक आदर्श स्कूल, मुख्यमंत्री राजश्री योजना (बालिकाओं को उनके जन्म पर किश्तों में 50,000 रु.) आदि। परन्तु तीन वर्ष पहले राज्य की सत्ता में बदलाव के साथ नीतियों के परिदृश्य में खासतौर से सामाजिक क्षेत्र में काफी बदलाव आया है जैसे प्रौद्योगिकी पर अधिक निर्भरता (सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भामाशाह और आधार कार्ड को अनिवार्य करना), निजीकरण तथा महत्वपूर्ण सेवाओं जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा आदि के लिये पीपीपी पर भरोसा, मुफ्त जांच तथा मुफ्त दवा योजनाओं पर कम और स्वास्थ्य बीमा के पक्ष में ज्यादा झुकाव तथा मोटे तौर पर औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर अधिक ध्यान देना।

ऐसे में ज़ाहिर है कि अगर हम सामाजिक क्षेत्र के लिए पिछले तीन वर्षों में बजट आवंटन को देखें तो कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला है। सामाजिक क्षेत्र में हमने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिक्षा, शहरी विकास, शहरी आवास, पानी और साफ–सफाई, महिला कल्याण, बाल कल्याण, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (अल्पसंख्यकों सहित) के कल्याण, श्रम कल्याण, समाज कल्याण और पोषण, और ग्रामीण विकास को शामिल किया है। सामाजिक क्षेत्र के लिए राज्य सरकार के आवंटन के विश्लेषण से पहले हमें राज्य की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले दो बड़े बदलाव पर ध्यान देना चाहिए।

राज्य की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले दो बड़े बदलाव : इन तीन वर्षों की अवधि के दौरान हुये दो महत्वपूर्ण परिवर्तन इस प्रकार हैं:

1. केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिये आवंटित राशि जो कि पहले अधिकांश मामलों में सीधे योजना लागू करने वाली सोसायटियों/संस्थानों के खाते में जाती थी, अब केंद्र सरकार के निर्णय के बाद वर्ष 2014–15 से राजस्थान के राज्य बजट में शामिल किया गया है। इस वजह से सामाजिक क्षेत्र के आवंटन में वृद्धि हुई है क्योंकि सीएसएस का एक बड़ा भाग सामाजिक क्षेत्र का हिस्सा है।

2. केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत चौदहवें वित्त आयोग (एफएफसी) की सिफारिशों के अनुसार केंद्र सरकार ने केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी को 32 प्रतिशत से 42 प्रतिशत कर दिया है। केंद्रीय करों की हिस्सेदारी में वृद्धि से निश्चित रूप से राज्य सरकार के राजकोषीय स्वायत्तता में वृद्धि हुयी है।

राज्य सरकार द्वारा सामाजिक क्षेत्र के लिए आवंटन : नीचे दी गई तालिका में कुछ चुनिंदा क्षेत्रों का बजट आवंटन दर्शाया गया है जो पिछले चार वर्षों के दौरान सामाजिक क्षेत्र का हिस्सा बने।

तालिका 1 : राजस्थान सरकार द्वारा सामाजिक क्षेत्र के लिये आवंटन

(राशि करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	2013–14 बजट अनुमान	2013–14 वास्तविक व्यय	2014–15 बजट अनुमान	2014–15 वास्तविक व्यय	2015–16 बजट अनुमान	2015–16 संशोधित अनुमान	2016–17 बजट अनुमान
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	5028.45	4751.63	8703.36	6457.71	9416.27	8241.39	9537.39
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	16403.05	15371.02	22873.39	19419.33	23824.57	22391.26	25461.78
शहरी विकास	4083.12	3481.31	4440.03	3065.34	3913.15	4612.31	6300.40
शहरी आवास	88.72	63.43	94.46	68.97	117.81	118.15	88.21
पानी और साफ–सफाई	4415.12	4599.40	6725.08	6565.54	6919.72	7040.87	7959.05
अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (अल्पसंख्यकों सहित) का कल्याण	1346.57	1281.46	1542.57	1159.23	1471.61	1599.25	1698.82
श्रम कल्याण	319.19	310.82	385.72	451.53	517.87	491.62	502.80
समाज कल्याण और पोषण	3761.05	5900.02	6567.62	6250.40	7592.51	8410.78	7119.45
(पोषण)	(1578.55)	(1343.55)	(1955.32)	(1410.92)	(1695.69)	(1592.08)	(1667.26)
ग्रामीण विकास	5661.68	5487.82	13904.11	10860.40	12968.30	14063.20	14814.34
सामाजिक क्षेत्र के लिए कुल बजट	**40627.59**	**41246.92**	**65182.33**	**54298.46**	**66741.83**	**66968.84**	**73482.25**
गत वर्ष से प्रतिशत बढ़ोतरी	--	--	60.44	31.64	2.39	--	10.10
राज्य का कुल बजट	**94871.95**	**94101.08**	**131426.89**	**116605.48**	**137713.39**	**137455.78**	**151127.75**
राज्य के कुल बजट में सामाजिक क्षेत्र का प्रतिशत	**42.82**	**43.83**	**49.60**	**46.57**	**48.46**	**48.72**	**48.62**

स्रोतः बजट पुस्तिका वित्त विभाग, राजस्थान

नोटः पोषण के लिए आंकड़े सामाजिक सुरक्षा और पोषण में शामिल किए गए हैं तथा कुल अनुदान में शामिल नहीं हैं।

अब अगर हम इन क्षेत्रों का बजट देखें तो हम 2014–15 के बजट आवंटन में पिछले वर्ष की तुलना में 60 प्रतिशत की एक प्रभावशाली वृद्धि पायेंगे। वर्ष 2014–15 के दौरान वास्तविक खर्च (बजट आवंटन की तुलना में) काफी कम था, फिर भी हम पिछले वर्ष के वास्तविक खर्च से 30 प्रतिशत की वृद्धि देख सकते हैं। ऐसा सीएसएस का राज्य सरकार के बजट में शामिल होने की वजह से हुयी बढ़ोतरी के कारण हो सकता है। इसी वजह से यह बढ़ोतरी बड़ी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के क्षेत्रों जैसे शिक्षा (एसएसए और एमएसए), स्वास्थ्य (एनएचएम) और ग्रामीण विकास (मनरेगा) में अधिक नजर आ रही है।

इसके बाद सामाजिक क्षेत्र में आवंटन तथा खर्च में कोई प्रभावशाली वृद्धि नहीं हुयी है। सामाजिक क्षेत्र के कुल बजट में वर्ष 2015–16 (बजट अनुमान) में पिछले वर्ष की तुलना में महज 2.39 प्रतिशत की वृद्धि हुयी। वर्ष 2015–16 में एफएफसी की सिफारिशों को लागू किया गया था। वर्ष 2016–17 के

शेष पृष्ठ 3 पर...

केन्द्रीय बजट 2017-18 : एक विश्लेषण

केन्द्र सरकार के वित्तमंत्री अरुण जेटली ने 1 फरवरी, 2017 को भारत का आगामी वर्ष 2017–18 हेतु बजट पेश किया। यह बजट अभी तक चली आ रही परिपाटी से कईं मामलों में अलग है एवं इसमें मुख्य रुप से तीन महत्त्वपूर्ण बदलाव किये गये हैं जिनमें (1.) बजट का आयोजना एवं गैर आयोजना में वर्गीकरण की समाप्ती (2.) रेल बजट का सामान्य बजट में विलय एवं (3.) बजट को फरवरी माह के अंतिम दिन के बजाय इससे पहले पेश करना।

गौरतलब है कि साल 1924 से रेल बजट सामान्य बजट से अलग पेश किया जा रहा है एवं अब केन्द्रीय बजट में रेल बजट को शामिल किये जाने के कारण रेल बजट की अपनी अलग पहचान खत्म हो चुकी है। इसके अलावा बजट का योजना व गैर योजना वर्गीकरण भी समाप्त कर दिया गया है। इसके बावजूद अच्छी बात यह है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं में बजट आवंटन पूर्व की भांति यथावत् रखा गया है लेकिन यह आंकलन करना मुश्किल है कि कुल आयोजना बजट में इन उपयोजनाओं का प्रतिशत कितना है। जानकारों के अनुसार यह बजट कुछ राज्यों में विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर पेश किया गया है। इस बजट में सरकार ने करीब 21,46,735 करोड़ रु. आय होना अनुमानित किया है, जबकि 21,46,735 करोड़ रु. खर्च किये जाने का अनुमान किया है। इस आलेख में साल 2017–18 हेतु पेश किये गये केन्द्रीय बजट में विभिन्न स्रोतों से कुल आय, प्रमुख मदों में कुल व्यय एवं केन्द्र सरकार से राज्यों को होने वाले वित्तीय एवं संसाधन हस्तांतरणों तथा प्रमुख केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में बजट आवंटन का विवरण निम्न रुप से पेश किया गया है।

केन्द्रीय बजट 2017–18: एक नजर में

- कुल प्राप्तियां : 21,46,735 करोड़ रु.
- कुल व्यय : 21,46,735 करोड़ रु.
- स्कीम व्यय : 94,50,78 करोड़ रु
- गैर स्कीम व्यय : 120,01,657 करोड़ रु
- राजस्व घाटा : 321163 करोड़ रु
- राजकोषिय घाटा : 546532 करोड़ रु
- प्राथमिक घाटा : 23454 करोड़ रु

केन्द्र सरकार की आयः

केन्द्र सरकार की आय मुख्यतः दो मदों राजस्व एवं पूंजीगत मदों के अंतर्गत होती है।

अ. राजस्व आय : केन्द्र सरकार की राजस्व आय में करों से प्राप्त राशि एवं राजस्व के रुप में प्राप्त अन्य राशि शामिल होती है। केन्द्र की कुल आय में करीब 70 प्रतिशत राशि राजस्व स्रोतों से प्राप्त होती है। केन्द्र सरकार ने वर्ष 2017–18 हेतु तकरीबन 15,15,771 करोड़ रु की राजस्व आय होना अनुमानित किया है, जो पिछले वर्ष के संशोधित बजट की तुलना में करीब 6.5 प्रतिशत अधिक है। जिसमें कुल राजस्व आय की करीब 80 प्रतिशत राशि कर के रुप में एवं 20 प्रतिशत राशि गैर कर स्रोतों (सहायतार्थ अनुदान एवं अन्य) से प्राप्त होगी। अतः सरकार की राजस्व आय में अधिकांश हिस्सा करों से प्राप्त राशि का है।

ब. पूंजीगत आय : सरकार की पूंजीगत आय में मुख्यतः लोक ऋण, उधार एवं अग्रिम तथा लोक खाते की प्राप्तियां शामिल होती हैं। सरकार ने आगामी वर्ष में करीब 6,30,964 करोड़ रु. की पूंजीगत आय होना अनुमानित किया है जो गत वर्ष के संशोधित बजट में करीब 5,90,845 करोड़ रु. थी। अतः इस वर्ष पूंजीगत प्राप्तियां गत वर्ष के संशोधित बजट की तुलना में 6.8 प्रतिशत अधिक है।

सारणी 1 : केन्द्रीय बजट के आंकड़े (राशि– करोड़ रु. में)

मद/वर्ष	2015–16 वास्तविक व्यय	2016–17 बजट अनुमान	2016–17 संशोधित बजट	2017–18 बजट अनुमान
राजस्व आय				
कर राजस्व (केन्द्र को निवल–करं)	943765	1054101	1088792	1227014
गैर कर राजस्व राशि	251260	322921	334770	288757
कुल राजस्व प्राप्ति (कर + अन्य)	1195025	1377022	1423562	1515771
कुल पूंजीगत प्राप्तियां				
ऋणों की वसूली	20835	10634	11071	11932
अन्य प्राप्तियां	42132	56500	45500	72500
उधार एवं देयताएं	532791	533904	534274	546532
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (ऋण, अल्प बचत आदि से)	595748	601038	590845	630964
कुल आय प्राप्ति (राजस्व + पूंजीगत)	**1790783**	**1978060**	**2014407**	**2146735**
केन्द्र का व्यय				
स्कीम व्यय	725114	801966	869847	945078
गैर स्कीम व्यय	1065669	1176094	1144560	1201657
कुल व्यय	**1790783**	**1978060**	**2014407**	**2146735**
घाटा/आधिक्य				
राजस्व घाटा	342736 (2.5)	354015 (2.3)	310998 (2.1)	321163 (1.9)
राजकोषिय घाटा	210982 (3.9)	187175 (3.2)	139526 (3.2)	546532 (3.2)
प्राथमिक घाटा	532791 (0.7)	533904 (0.3)	534274 (0.3)	23454 (0.1)

स्रोत : बजट दस्तावेज, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, 2017–18

नोट : ( ) में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) से घाटे का प्रतिशत दर्शाया गया है।

शेष पृष्ठ 4 पर...

सतत् विकास लक्ष्य, उनके उद्देश्य और संकेतक

सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (एमडीजी) में आठ अंतर्राष्ट्रीय विकास लक्ष्य थे जो वर्ष 2015 के लिए, वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र के सहस्राब्दी शिखर सम्मेलन के बाद स्थापित किये गये। वर्ष 2015 में एम.डी.जी. की समय सीमा खत्म होने पर, उनमें बदलाव करके उन्हें सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी) 2016 के रूप में प्रतिस्थापित किया गया।

सतत् विकास लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गयी एक पहल है जो दुनिया के आर्थिक विकास, सामाजिक विकास व पर्यावरणीय विकास को मद्दे नज़र रखते हुए शुरू की गयी थी। मुक्त कार्य समूह द्वारा जुलाई 2014 में 17 लक्ष्य व 169 उद्देश्यों पर आधारित सतत् विकास लक्ष्यों का प्रारूप पेश किया, जिससे अंतर्सरकारी बातचीत में सहमति के बाद सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में स्वीकृति प्रदान की गयी। सभी लक्ष्यों के कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए, जिनके आधार पर इन लक्ष्यों के कुछ मानक निर्धारित किए गए जिससे लक्ष्य की प्राप्ति को मापा जा सके। नीचे दी गई तालिका उन लक्ष्यों, उनके उद्देश्यों और उन्हें नापने के लिए निर्धारित संकेतकों को दर्शाती है –

सतत् विकास लक्ष्य व उनके उद्देश्य तथ्य उन्हें नापने के लिए निम्न संकेतक :

	सतत् विकास लक्ष्य व उनके उद्देश्य	उन्हें नापने के लिए निम्न संकेतक रखे गए हैं:
1	**गरीबी के सभी रूपों को विश्व से समाप्त करना** **उद्देश्य**–गरीबी को खत्म करना, गरीबी को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम करना, राष्ट्रीय स्तर पर एक उचित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू करना, बराबर आर्थिक अधिकारों एवं संसाधनों का सार्थक संचालन सुनिश्चित करना	▪ अंतर्राष्ट्रीय एव राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जनसंख्या का अनुपात ▪ कुल जनसंख्या में से सामाजिक सुरक्षा पाने वाले लोग ▪ गरीबी कम करने के लिए सरकार द्वारा चलाये जाने वाले कार्यक्रमों एवं आवाश्यक सेवाओं (शिक्षा, स्वास्थ्य व सामाजिक सुरक्षा) पर किए जाने वाले खर्च का प्रतिशत
2	**भूख की समाप्ति करना एवं खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण व टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना** **उद्देश्य**–भुखमरी कम करना, सबके लिए पर्याप्त भोजन सुनिश्चित करना, कुपोषण को पूर्ण रूप से समाप्त करना, कृषि उत्पादकता को दोगुना करना और स्थायी खाद्य उत्पादन प्रणाली को सुनिश्चित करना	▪ कुपोषण का प्रतिशत ▪ 5 वर्ष तक के बच्चों में नाटापन व कुपोषण का फैलाव ▪ खेती व वानिकी उद्यम में उत्पादन ▪ घरों में सिंचाई तंत्र उपयोग ▪ सरकार का कृषि पर किए जाने वाला खर्च का प्रतिशत आदि
3	**सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना** **उद्देश्य**–मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार करना, विश्व से महामारियों को खत्म करना, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को प्राप्त करना, स्वास्थ्य सेवाओं में सरकार द्वारा किए जा रहे आवंटन को बढ़ाना एवं स्वास्थ्य में कार्यकर्ताओं के नियोजन को बढ़ाना	▪ मातृ मृत्यु दर ▪ 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर ▪ शिशु मृत्यु दर ▪ एक वर्ष में टी.बी. या मलेरिया से प्रभावित लोग ▪ किशोरियों द्वारा जन्म देने का दर (प्रति 1000 किशोरियाँ) ▪ बच्चों का पूर्ण टीकाकरण ▪ स्थायी आधार पर सस्ती दवा व टीकों तक लोगों की पहुँच ▪ स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का घनत्व और वितरण आदि
4	**समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर देना** **उद्देश्य**–सभी बच्चों को मुफ्त, समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो, शिक्षा में लिंग असमानता को समाप्त करना, स्कूलों को सभी बच्चों हेतु बेहतर और सुरक्षित बनाना, योग्य अध्यापकों की संख्या में बढ़ोतरी करना	▪ प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों का प्रतिशत ▪ माध्यमिक शिक्षा में बच्चों की पढ़ने व गणित का ज्ञान ▪ लिंग समानता सूचकांक ▪ विद्यालय जिनमें सभी के लिए बुनियादी सुविधाएं ▪ प्राथमिक व माध्यमिक स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों का प्रतिशत
5	**लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना** **उद्देश्य**–महिलाओं व लड़कियों के विरुद्ध भेदभाव, हिंसा और हानिकारक प्रथाओं को खत्म करना, नेतृत्व में प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करना एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सही नीतियों को अपनाना और मजबूत करना	▪ इक्विटी को बढ़ावा देने ▪ लिंग भेदभाव कम करने के लिए कानूनी ढाँचा होना ▪ 20 से 24 वर्ष की महिलाएं जिनकी शादी 15 से 18 वर्ष में हुई ▪ महिलाओं द्वारा संसद व स्थानीय निकायों में अधिकृत सीटें ▪ महिलाओं हेतु बजट आवंटन व उसे ट्रैक करने के लिए प्रणाली
6	**सभी के लिए स्वच्छता और पानी के प्रबंध की उपलब्धता सुनिश्चित करना** **उद्देश्य**–सभी के लिए सुरक्षित और सस्ता पीने का पानी और साफ सफाई की सुविधा उपलब्ध हो	▪ साफ व स्वच्छ पानी और स्वच्छता सेवाओं का उपयोग करने वाले लोगों का प्रतिशत ▪ स्वच्छता हेतु सरकार द्वारा खर्च
7	**सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच सुनिश्चित करना** **उद्देश्य**–सभी के लिए सुरक्षित, सस्ती और आधुनिक ऊर्जा की सुविधा उपलब्ध हो और कुल वैश्विक ऊर्जा में अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना	▪ उन परिवारों का प्रतिशत जिन तक बिजली की पहुंच है ▪ कुल ऊर्जा की खपत में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा ▪ प्राथमिक ऊर्जा और सकल घरेलू उत्पाद के मामले में ऊर्जा तीव्रता के उपाय आदि
8	**सभी के लिए निरंतर समावेशी और आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार, और बेहतर कार्य को बढ़ावा देना** **उद्देश्य**–प्रति व्यक्ति आर्थिक विकास को बनाए रखना, आर्थिक उत्पादकता को बढ़ाना, बेरोजगारी को कम करना और युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाना	▪ वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर ▪ बेरोज़गारी दर ▪ शिक्षा, रोजगार या प्रशिक्षण से वंचित युवाओं का प्रतिशत ▪ 5 से 17 वर्ष के बच्चों का प्रतिशत जो बाल श्रमिक हैं ▪ सामाजिक सुरक्षा व रोज़गार कार्यक्रम की ओर आवंटित बजट
9	**लचीले बुनियादी ढ़ांचों, समावेशी और औद्योगिकरण को बढ़ावा देना** **उद्देश्य**–एक बेहतर व विश्वसनीय ढाँचा तैयार करना एवं समावेशी और सतत् औद्योगीकरण को बढ़ावा देना	▪ सड़क के 2 कि.मी. के दायरे में रहने वाली ग्रामीण आबादी ▪ सकल घरेलू उत्पाद व प्रति व्यक्ति विनिर्माण मूल्य में वृद्वि ▪ विनिर्माण से मिलने वाला रोजगार का प्रतिशत ▪ तकनिकी का उपयोग करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत आदि
10	**देशों के बीच और भीतर असमानता को कम करना** **उद्देश्य**–सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समावेशन को बढ़ावा देना व उन्हे सशक्त बनाना	▪ घरेलू खर्च की विकास दर ▪ निम्न आय वर्ग और कुल जनसंख्या की प्रति व्यक्ति आय ▪ सकल घरेलू उत्पाद में श्रम का हिस्सा आदि
11	**सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर व मानव बस्तियों का निर्माण करना** **उद्देश्य**–सभी के लिए सुरक्षित और सस्ते घर व वाहन प्रणाली की सुविधा हो और सार्वजनिक जगहों को सभी के लिए सुलभ बनाना	▪ शहरी जनसंख्या में मलिन एवं अनौपचारिक बस्तियों या अपर्याप्त आवास में रहने वाली जनसंख्या का अनुपात ▪ जनसंख्या में सार्वजनिक परिवहन के लिए सुविधाजनक पहुँच वाले लोगों का अनुपात आदि
12	**स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना** **उद्देश्य**–अन्न की बर्बादी को कम हो, रिसाइक्लिंग पर जोर दिया जाए और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने की कोशिश की जाए	▪ वैश्विक खाद्य नुकसान सूचकांक ▪ देश का रिसाइक्लिंग दर ▪ जीवाश्म ईंधन सब्सिडी की राशि व कुल खर्च के अनुपात आदि
13	**जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना** **उद्देश्य**–आपदा से निपटने के लिए एक मजबूत व लचीली प्रणाली हो व जलवायु परिवर्तन के उपायों को राष्ट्रीय नीतियों व आयोजन का हिस्सा बनाया जाए	▪ आपदा से प्रभावित होने वाले (जिनकी मृत्यु हो गयी, घायल व्यक्ति, स्थानांतरित लोग) लोगों की संख्या (प्रति 100,000 व्यक्ति) ▪ आपदा के समय बाहरी देशों से मिलने वाली सहायता आदि
14	**महासागरों, समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण** **उद्देश्य**–जल निकायों, उनके जीवों व संसाधनों का संरक्षण	▪ मछली पालन का जीडीपी में प्रतिशत ▪ समुद्री क्षेत्रों के संबंध में संरक्षित क्षेत्र की कवरेज आदि
15	**वातावरण की रक्षा व सतत् उपयोग करना** **उद्देश्य**–स्थलीय पारिस्थितिक प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण और जैव विविधता का संरक्षण एवं इनके नुकसान को रोकने का प्रयास करना	▪ कुल भूमि क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत ▪ स्थायी वन की क्षति ▪ जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र पर सरकारी खर्च आदि
16	**शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देना** **उद्देश्य**–शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देना, सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी, जवाबदेह बनाना ताकि सभी हेतु न्याय सुनिश्चित हो सके	▪ मानव तस्करी के शिकार लोगों की संख्या ▪ 18 वर्ष की उम्र से पहले यौन हिंसा से ग्रसित लोग ▪ सरकार के आवंटन में प्राथमिक खर्च का प्रतिशत (क्षेत्रवार) आदि
17	**वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना एवं अतिरिक्त कार्यान्वयन के साधनों को मज़बूत बनाना** **उद्देश्य**– वित्तीय स्थिति, तकनिकी, क्षमता निर्माण, व्यापार और नीतियों में सुधार व समानता लाना	▪ सकाल घरेलू उत्पाद ▪ सरकार का कुल राजस्व व उनके स्रोत ▪ स्वयं के करों का बजट में अनुपात ▪ विकासशील देशों के लिए औसत टैरिफ आदि

इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सरकारों की मुख्य भूमिका है और इसमें देश, राज्य तथा स्थानीय स्तर की सरकारों का योगदान भी आवश्यक है। सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में मुख्य भूमिका केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों, राज्य सरकारों व उनके विभागों की रहेगी। उचित नीति और बजट आवंटन तथा सही क्रियान्वयन से इन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है।

साथ ही इनमें शहरी निकायों तथा पंचायतों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इन लक्ष्यों को अपने स्तर पर पूर्ण करने के लिए ग्राम पंचायतें कईं कार्य कर सकती हैं, जैसे वह यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि सभी को सामाजिक सुरक्षा का लाभ हो, मनरेगा का पूर्ण रूप से कार्यांवयन हो, उनके क्षेत्र में सभी परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस) के तहत और सभी बच्चों, गर्भवती महिलाएं एवं किशोरियाँ आई.सी.डी.एस. के अंतर्गत नामांकित हों। इसके अलावा जी.पी.डी.पी. द्वारा स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दों को संबोधित कर सुनिश्चित कर सकती हैं कि उनके क्षेत्र के सभी बच्चे स्कूल में नामांकित हों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के विचार को व लिंग अनुपात के खिलाफ जागरूकता एवं लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए बढ़ावा दे सकती हैं। सभी जी.पी.डी.पी. गतिविधियों का पर्यावरण सुरक्षा उपायों के साथ अनुपालन कर सकती हैं, घरों, स्कूलों, अस्पतालों आदि के लिए बिजली कनैक्शन की सुविधा प्रदान करवाने, सामाजिक कल्याण विभाग की सहायता से हाथ से सफाई करने वाले लोगों के लिए पुनर्वास व वित्तीय सहयता प्रदान करवाने, जलवायु संवेदनशील क्षेत्रों पर निर्भरता को कम करने का प्रयास कर सकती हैं, अपने क्षेत्र में वनस्पति और जीवाश्म की प्रजातियाँ जो खतरे में हैं उनकी एक सूची तैयार कर सकती हैं, और प्रदूषण की निगरानी और उसके उन्मूलन के लिए कदम उठा सकती हैं।

राजस्थान में महिला बजट तथा भाजपा सरकार के घोषणा पत्र में महिला कल्याण के वादों की स्थिती

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 3.2 करोड़ महिलाएं हैं जिनमें 2.4 करोड़ महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 81 लाख शहरी क्षेत्रों में निवास कर रही हैं अर्थात् 75 प्रतिशत महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 25 प्रतिशत महिलाएं ही शहरी क्षेत्रों में निवास कर रही हैं। राज्य में महिला विकास एवं सशक्तिकरण के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रमों के लिये बजट में राजस्व व्यय के लिये के मुख्य शीर्ष 2235 (सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण) के उप मुख्य शीर्ष 02 (समाज कल्याण) के अन्दर लघु शीर्ष 103 (महिला कल्याण) तथा लघु शीर्ष 196 (जिला स्तर की पंचायतों को सहायता) की इकाई 02 (महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु) में प्रावधान रखा जाता है। इसके साथ ही मुख्य शीर्ष 2236 (पोषण) में भी महिला कल्याण के लिये बजट आवंटित किया जाता है। पूंजीगत व्यय के लिये मुख्य शीर्ष 4235 (सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत व्यय) के उप मुख्य शीर्ष 02 (समाज कल्याण) के अन्दर लघु शीर्ष 103 (महिला कल्याण), लघु शीर्ष 789 (अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना) तथा लघु शीर्ष 796(जनजातिय क्षेत्र उपयोजना) एवं मुख्य शीर्ष 4236 (पोषण पर पूंजीगत व्यय) में आवंटन किया जाता है।

वर्ष 2016–17 के लिये राज्य का कुल बजट 171260.99 करोड़ रू रखा गया था जिसमें महिलाओं के कल्याण के लिये कुल 1748 करोड़ रू आवंटित किए गए जो राज्य के कुल बजट का केवल 1.02 प्रतिशत ही है। नीचे दी गई सारणी में महिलाओं के कल्याण के लिये किये जाने वाले बजट आवंटन एवं खर्च को दर्शाया गया है।

तालिका 1 : राज्य में महिला एवं बाल विकास विभाग के लिये बजट

(राशि– करोड़ रु. में)

मद / वर्ष	2014–15 वास्तविक व्यय	2015–16 बजट अनुमान	2015–16 संशोधित अनुमान	2016–17 बजट अनुमान
राजस्व व्यय				
2235–02–103	15.3	28.5	12.6	29.6
2235–02–196–(02)	34.5	42.2	42.53	47.75
2236	1420	1481	1444	1573
राजस्व व्यय योग	1470	1552	1499	1650
पूँजीगत व्यय				
4235–02–103	15.83	11.75	1.67	2.95
4235–789	3.14	2.14	0	0
4235–796	2.44	1.55	0	0
4236	.9.2	214.8	147.9	94.5
पूँजीगत व्यय योग	12.1	230.2	149.6	97.4
महायोग	1482	1782	1649	1748

स्रोतः बजट पुस्तिका वित्त विभाग, राजस्थान

ऊपर दी गयी सारणी के अनुसार वर्ष 2015–16 में महिलाओं के कल्याण के लिये आवंटित राशि राज्य के कुल बजट का 1.2 प्रतिशत थी तथा 2014–15 के बजट में राज्य के कुल खर्च का 1.5 प्रतिशत भाग महिला कल्याण के लिये अनुमानित किया गया था यानी पिछले तीन वर्षों से महिलाओं के कल्याण के लिये किये जाने वाले खर्च को घटाया जाता रहा है।

वर्ष 2015–16 के संशोधित अनुमान में महिला कल्याण के लिये आवंटित राशि में इसी वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में 133 करोड़ रू की कमी आयी है। यह कमी मुख्य रूप से पोषण के लिये आवंटित पूँजीगत बजट में 66.9 करोड़ रू. की कमी होने की वजह से आयी है। जहाँ 2015– 16 के बजट अनुमान में पोषण के लिये 214.8 करोड़ रू का पूँजीगत बजट रखा गया था वहीं संशोधित अनुमान में इसे केवल 149.6 करोड़ रू कर दिया गया है।

हालांकी वर्ष 2016–17 के बजट अनुमान में 2015–16 के संशोधित अनुमान की तुलना में 99 करोड़ रू तथा वर्ष 2014–15 के वास्तविक व्यय से 266 करोड़ रू की वृद्धी हुई है परन्तु 2015–16 के बजट अनुमान की तुलना में 34 करोड़ रू की कमी आयी है।

राजस्थान में जेण्डर बजट :

राजस्थान सरकार द्वारा अगस्त 2011 में जारी किये गये बजट सर्कुलर में पहली बार जेण्डर बजट को लागू करने की बात की गयी। अगले वर्ष राजस्थान बजट 2012–13 में जेण्डर बजट विवरण जारी किया गया, जिसमें सरकारी कार्यक्रमों को महिला लाभार्थीयों के प्रतिशत के अनुसार चार श्रेणियाँ प्रदान की गई। जेण्डर बजट विवरण का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि 2016–17 में राज्य के कुल बजट में योजना खर्च के जेण्डर घटक में वर्ष 2015–16 की तुलना में लगभग 0.28 प्रतिशत की कमी हुयी है तथा गैर योजनागत खर्च के जेण्डर घटक में भी 1.01 प्रतिशत की कमी हुयी है।

भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में महिला कल्याण के वादे :

महिलाओं के कल्याण के लिये वर्तमान सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों को समझने के लिये भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में किये वादों की स्थिति के बारे में महिला एवं बाल विकास विभाग से मिली जानकारी का विवरण इस प्रकार है:

तालिका 2 : घोषणा पत्र में महिला कल्याण के वादे एवं इनकी वर्तमान स्थिति

घोषणा पत्र में महिला कल्याण के वादे	वादों की स्थिती
महिला स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए डेयरी / पशुपालन उघोग, खाद्य सामग्री निर्माण, हस्तशिल्प, कुटीर एंव घरेलू उद्योग आदि के लिए कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाए जाने की योजना बनाई जाएगी।	योजना बनाने का काम चल रहा है।
प्रत्येक पुलिस थाने में एक महिला पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी।	प्रत्येक पुलिस थाने में कम से कम एक महिला सिपाही तो है परन्तु हर थाने में महिला पुलिस अधिकारी की नियुक्ति अभी तक नहीं की गयी है।
विधवा एंव परित्यक्ता महिलाओं को सरकारी नियुक्तियों में आरक्षण के अनुसार भर्ती की जाएगी तथा इन्हीं वर्गो के अनुकम्पा नियुक्तियों के प्रकरणों का छः माह में निस्तारण किया जाएगा।	सरकारी नियुक्तियों में विधवा एंव परित्यक्ता महिलाओं के लिये कुछ आरक्षण किया गया है।
महिलाओं की आत्मरक्षा के लिए प्रत्येक जिले में सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे।	महिलाओं की आत्मरक्षा के लिए सक्षम योजना बनायी गयी है।
महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए पिछली भाजपा सरकार द्वारा बनाई गई भामाशाह योजना प्रारम्भ करके 50 लाख महिलाओं का बैंक खाता खोला जाएगा।	भामाशाह योजना के तहत कईं बैंक खाते हर दिन खोले जा रहे हैं।
माँ और बच्चे की देखभाल के लिए विभिन्न स्तर पर पहल की जायेगी, जिनमें कुपोषण से निपटने के लिए मिशन बालम सुखम, नवजात शिशु और माँ को सुरक्षित ले जाने के लिए सुविधायुक्त वैन, नंद घर (आधुनिक आंगनवाड़ियां), माता यशोदा पुरस्कार शामिल है।	ICDS के अंतर्गत काम चल रहा है तथा पाली ज़िला में कुछ नंद घर खोले गये हैं।
जेण्डर बजट के साथ–साथ विभागवार महिलाओं के संबंध में दी जाने वाली छुट (जैसा पूर्व में भाजपा सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी में दिया था) अथवा महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने जैसे ठोस कदम उठाए जाएंगे।	अभी इस दिशा में कोई नयी योजना नहीं बनी है।
भाजपा की सरकार ने पिछली बार विधवाओं को शिक्षिका का रोजगार उपलब्ध कराया था। इस श्रेणी में अनाथ बालिकाओं को भी शामिल करने का प्रयास किया जाएगा।	जरूरतमंद महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयार चल रहा है।
असहाय बालिकाओं तथा महिलाओं की तात्कालिक आर्थिक सहायता हेतु एक विशेष कोष का गठन किया जाएगा जो ऐसी महिलाओं को अधिकतम तीन वर्षों के लिए निर्धारित नीति के अनुसार आर्थिक मदद कर सके।	अभी तक किसी कोष का गठन नहीं किया गया है।
शिक्षित बेरोजगार महिलाओं को उद्योग / व्यापार हेतु रियासती दर पर ऋण दिया जाएगा।	राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा ऋण दिया जा रहा है।
महिलाओं के लिए महिला समृद्धि बाजार की स्थापना की जाएगी।	अभी कहीं पर भी निर्माण कार्य के पूरा ना होने की वजह से महिला समृद्धि बाजार / धनलक्ष्मी केंद्रों की स्थापना नहीं हुयी है।

पृष्ठ 1 का शेष, राजस्थान में पिछले तीन वर्षों में स्रोत....

बजट अनुमान में वर्ष 2015–16 के बजट अनुमान की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है। हालांकि, राज्य के कुल बजट के प्रतिशत के रूप सामाजिक क्षेत्र के आवंटन में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

राज्य सरकार की योजनाओं के लिये बज़ट में कमीः केवल केन्द्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के बजट में ही कमी अथवा कोई खास वृद्धि ना होना नहीं देखा गया है अपितु राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किये गये आवंटनों और इसके समक्ष हुए व्यय में भी गिरावट आई है, विशेषरूप से लोकप्रिय योजनाओं के अन्तर्गत, जैसे कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा एवं निःशुल्क स्वास्थ्य जांच योजनाएं। राज्य की बजट पुस्तिकाओं के अनुसार वर्ष 2014–15 के बजट अनुमानों में मुफ्त दवा एवं जांच योजनाओं के लिये क्रमशः 382.92 करोड़ रू. एवं 119.37 करोड़ रू. की राशि आवंटित की गई थी और तभी से इसमें कमी का रूझान दिखाई दे रहा है। ये आवंटन घटकर अब वर्ष 2016–17 के बज़ट अनुमानों में 360.36 करोड़ रू. एवं 105.50 करोड़ रू. तक आ गये हैं। इन अत्यंत महत्वपूर्ण योजनाओं के लिये कम आवंटन एवं आवंटित राशियों के उपयोग में कमी निश्चित रूप से इन योजनाओं तक लोगों की पहुंच को घटायेगी। किन्तु जैसा कि ऊपर संकेत किया गया है, स्वास्थ्य के मामले में सरकार का ध्यान अधिकांश रूप में अस्वस्थ लोगों के लिये बीमा आधारित सहायता को अधिक बढ़ावा देने की ओर प्रतीत होता है और इससे ऐसा लगता है कि सार्वभौमिक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं की ओर सरकार कम ध्यान दे रही है।

सामाजिक क्षेत्र पर प्रभावः हालांकि सामाजिक क्षेत्र पर सरकारी नीतियों के प्रभाव का आंकलन करने के लिये तीन वर्ष एक लम्बी अवधि नहीं है, किन्तु फिर भी सरकारी की नीतियों के कुछ परिणाम अथवा प्रभाव दिखाई दे रहे हैं और ये परिणाम बहुत उत्साहवर्धक नहीं हैं। सामाजिक सूचकों में केवल नाम मात्र का अथवा नहीं के बराबर सुधार हुआ है, विशेषरूप से स्वास्थ्य एवं शिक्षा से जुड़े सूचकों के मामले में। राज्य में स्वास्थ्य सूचकों को देखें तो वर्ष 2013 में बाल शिशु मृत्यु दर (IMR) एवं 5 वर्ष से कम आयु के बालकों की मुत्यृ दर (U5IMR) क्रमशः 47 एवं 57 थी जो 2015–16 में मामूली घटकर क्रमशः 41 एवं 51 हुई है। इसी प्रकार शिक्षा से जुड़े सूचकों को देखें तो 2012–13 में लड़कों एवं लड़कियों का नामांकन प्रतिशत क्रमशः 53.7 एवं 46.3 था जो 2015–16 में यह क्रमशः 53.9 एवं 46.1 है।

हालांकि स्कूलों एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी आधारभूत संरचनाओं में थोड़ा सा सुधार हुआ है किन्तु स्वास्थ्य सेवाओं के लिये कुल स्वीकृत पदों के समक्ष रिक्त पदों की संख्या बहुत अधिक है। ग्रामीण सर्वेक्षण आंकड़े भी यह सुझाते हैं कि गत तीन वर्षो में स्वीकृत पदों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है किन्तु हाल ही में नियुक्त कर्मियों की संख्या में वास्तव में गिरावट आई है। सभी स्तरों पर रिक्तियों का स्तर बहुत ऊंचा है किन्तु यह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (CHCs) पर विशेषज्ञ चिकित्सकों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर नर्सिंग कर्मचारियों, रेडियोग्राफर्स इत्यादि की नियुक्ति के मामले में विशेषरूप से दृष्टिगोचर हो रहा है। इसके अलावा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी परिणामों में अधिक सुधार नहीं दिखाई दे रहा है। उदाहरण के लिये, स्कूलों में नामांकन और बीच में ही पढ़ाई छोड़कर जाने वाले बच्चों की दर (प्रतिशत) में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं आया है।

तीन वर्षो की उपलब्धियां : दावे और वास्तविकताः सत्ता में अपने तीन वर्ष पूर्ण करने पर उत्सव मनाने हेतु अपने अभियान में सरकार ने अपनी अनेक उपलब्धियों के दावे किये हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के अन्तर्गत अनुदानित दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु राशन की दुकानों पर बिक्री–बिन्दु (पाइन्ट आफ सेल–पी ओ एस) मशीनें लगाई गई हैं जिसे एक उपलब्धि कहा जा रहा है लेकिन सच्चाई यह है कि पी. ओ. एस. मशीनों के कारण लोगों को सार्वजनिक वितरण व्यवस्था की दुकानों से अपना राशन प्राप्त करने में भारी कठिनाई और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कतिपय अन्य मोर्चो पर, जैसे कि ग्रामीण गौरव पथ (ग्रामीण पंचायतों को मुख्य सड़क से जोड़ने वाले मार्गों का निर्माण) के मामले में भी सरकार मामूली सी ही प्रगति कर पाई है। इस योजना के अन्तर्गत, अब तक राज्य की लगभग 10,000 पंचायतों में से 2000 से भी कम पंचायतों को जोड़ा जा सका है और इसी प्रकार आदर्श स्कूल के रूप में विकसित करने हेतु निर्धारित किये गये 9,895 स्कूलों के लक्ष्य के समक्ष अब तक केवल 1340 स्कूलों को ही आदर्श स्कूलों के रूप में विकसित किया जा सका है।

तथापि, कुछ योजनएं यदि अच्छी तरह से कियान्वित की जाये तो दीर्घावधि में इनके सकारात्मक प्रभाव होंगे। उदाहरण के लिये, जल स्वावलम्बन योजना, सरकारी स्कूलों को आदर्श स्कूलों के रूप में विकसित करना और इसी के साथ बालिकाओं एवं आरोग्य और स्वच्छता पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने से निश्चित रूप में सकारात्मक परिणाम आयेंगे, बशर्ते इन्हें भली प्रकार कियान्वित किया जाये।

पृष्ठ 1 का शेष, केन्द्रीय बजट 2017–18 स्रोत....

राजस्व घाटा / आधिक्य	:	राजस्व प्राप्तियां – राजस्व व्यय
बजटीय घाटा / आधिक्य	:	कुल प्राप्तियां – कुल व्यय
राजकोषिय घाटा / आधिक्य	:	बजटीय घाटा + उधार एवं अन्य देयताएं
प्राथमिक घाटा / आधिक्य	:	राजकोषिय घाटा –ब्याज अदायगी

केन्द्र सरकार का व्ययः

जैसा कि उल्लेखित किया गया है कि राज्य सरकार ने आगामी वर्ष में करीब 21,46,735 करोड़ रु. व्यय होना अनुमानित किया है। जिसमें करीब 44.02 प्रतिशत राशि स्कीम मद में व्यय होना अनुमानित है जबकि गैर स्कीम मद के अन्तर्गत 55.98 प्रतिशत राशि व्यय होना अनुमानित है। अतः बजट की अधिकांश राशि गैर स्कीम मदों में व्यय होगी।

सरकार के बजट घाटे एवं आधिक्य :

उपरोक्त आंकड़ों के आधार केन्द्र सरकार को आगामी वर्ष में करीब 3,21,163 करोड़ रु. का राजस्व घाटा (राजस्व आय तथा राजस्व व्यय का अन्तर) होने का अनुमान है जो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का करीब 1.9 प्रतिशत है। इसी प्रकार करीब 5,46,532 करोड़ रु. का राजकोषिय घाटा (सरकार द्वारा लिये गये कर्ज को निकालने के बाद होने वाला घाटा) अनुमानित किया है जो जीडीपी का करीब 3.2 प्रतिशत है। इस लीहाज से सरकार को करीब 23454 रु. का प्राथमिक घाटा होने का अनुमान है।

केन्द सरकार से राज्यों को संसाधन हस्तांतरणः

गौरतलब है कि वर्ष 2015–16 में 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 32 प्रतिशत से बढाकर 42 प्रतिशत कर दिया गया। परिणामस्वरुप राज्यों को केन्द्रीय करों में से अधिक राशि मिल रही है, यदि केन्द्र से राज्यों को मिलने वाले कुल संसाधनों का आंकलन किया जाये तो इसमें बढ़ोतरी जरुर हुई है लेकिन सकल घरेलू उत्पाद से तुलना की जाये तो यह बढ़ोतरी नहीं के बराबर है। केन्द सरकार से राज्यों को विभिन्न मदों में मिलने वाले कुल संसाधन राशि को निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

सारणी 2 : केन्द सरकार से राज्यों एवं संघीय प्रदेशों को संसाधन हस्तांतरण

(राशि– करोड़ रु. में)

मद / वर्ष	2015–16 वास्तविक व्यय	2016–17 बजट अनुमान	2016–17 संशोधित बजट	2017–18 बजट अनुमान
करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा	337808	506193	608000	674565
वित्त आयोग अनुदान हस्तांतरण	–	84579	99115	103101
योजना संबंधी हस्तांतरण	–	195051	201363	212466
उधार एवं देयताएं	–	43143	44864	48447
अन्य हस्तांतरण	–	378	31422	42499
उत्तर–पूर्वी राज्यों हेतु हस्तांतरण	–	5139	5547	3996
संघीय प्रदेशों को वैधानिक सहित कुल हस्तांतरण	348027	328290	382311	410509
राज्यों एवं संघीय प्रदेशों को कुल हस्तांतरण	685835	830613	990311	1085075
करों एवं शुल्कों में राज्यों के हिस्से का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) से प्रतिशत	2.7	3.7	4.0	4.0
अन्य हस्तांतरण का सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशत	2.8	2.4	2.5	2.4
राज्यों एवं संघीय प्रदेशों को कुल हस्तांतरण का सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशत	5.5	6.1	6.6	6.4

स्रोत : व्हॉट डु दि नंबर्स टेल, एन एनालिसिस ऑफ यूनियन बजट, 2017–18, सी.बी.जी.ए. नई दिल्ली

उपरोक्त तालिका के अनुसार केन्द्र सरकार से राज्यों को करों एवं शुल्कों की हिस्सा राशि में बढोतरी हुई है जबकि दूसरी ओर राज्यों को प्रदान की जाने वाली अन्य हस्तांतरण राशि में कमी की गयी है। वर्ष 2015–16 के वास्तविक व्यय के अनुसार राज्यों को करों एवं शुल्कों के हिस्से के रुप में करीब 3,37,808 करोड़ रु. की राशि प्रदान की गयी जो वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान में बढ़कर करीब 6,74,565 करोड़ रु. हो गयी। वहीं दूसरी ओर अन्य हस्तांतरण के रुप में वर्ष 2016–17 के बजट अनुमान में 5139 करोड़ रु. की राशि प्रदान की गयी जो वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान में कम होकर 3996 करोड़ रु. हो गयी।

यदि केन्द्र से राज्यों एवं संघीय प्रदेशों को प्राप्त होने वाली कुल हस्तांरण राशि को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत रुप में देखा जाये तो वर्ष 2015–16 के वास्तविक व्यय में यह 5.5 प्रतिशत एवं 2016–17 के बजट अनुमान में 6.1 प्रतिशत थी। वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान में राज्यों एवं संघीय प्रदेशों को कुल हस्तांतरण, सकल घरेलू उत्पाद का 6.4 प्रतिशत है। अतः जीडीपी के प्रतिशत रुप में केन्द्र से राज्यों एवं संघीय प्रदेशों को प्रदान की जाने वाली कुल हस्तांतरण राशि में बढ़ोतरी नहीं के बराबर हुई है।

केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं में बजट आवंटनः प्रमुख केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं में बजट आवंटन का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया हैः

तालिका 3: केन्द्रीय बजट में विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनओं हेतु आवंटन

(रूपये करोड़ में)

योजना	2016–17 बजट अनुमान	2016–17 संशोधित बजट	2017–18 बजट अनुमान	संशोधित बजट से वृद्वि	संशोधित बजट से प्रतिशत वृद्वि
मनरेगा	38500	47499	48000	501	1.05
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	5767.13	5188.55	7377.47	2188.92	42.19
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	19000	19000	19000	0	0.00
प्रधानमंत्री आवास योजना	20075	20936.1	29042.81	8106.71	38.72
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना	5000	6000	6050	50	0.83
स्वच्छ भारत मिशन	11300	12800.02	16248.27	3448.25	26.94
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	20762	22597.95	27131.32	4533.37	20.06
राष्ट्रीय शिक्षा मिशन (एसएसए, आरएमएसए, टीटी और एई एवं उच्च शिक्षा)	28330	28250.8	29555.67	1304.87	4.62
सर्व शिक्षा अभियान	22500	22500	23500	1000	4.44
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	3700	3700	3830	130	3.51
मिड–डे–मील	9700	9700	10000	300	3.09
समेकित बाल विकास योजना	16260	16579.6	20755.19	4175.59	25.19
राष्ट्रीय आजीविका मिशन	3325	3334	4849	1515	45.44
सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	990	990	1100	110	11.11

स्रोतः केन्द्रीय बजट, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, दस्तावेज, 2017–18

उपरोक्त तालिका के अनुसार कुछ केन्द्रीय योजनाओं जैसे–प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, समेकित बाल विकास योजना एवं राष्ट्रीय आजीविका मिशन में गत वर्ष के संशोधित बजट के मुकाबले अच्छी बढ़ोतरी की गयी है। जबकि अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे–मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, एसएसए, आरएमएसए एवं मिड–डे–मील योजनाओं में बहुत ही कम बढ़ोतरी की गयी है। हालांकि सरकार का कहना है कि मनरेगा में यह अब तक की सबसे अधिक बढ़ोतरी है जबकि यह गत वर्ष के संशोधित बजट से मात्र 1 प्रतिशत ही अधिक है। इसी प्रकार एसएसए, आरएमएसए एवं मिड–डे–मील योजनाओं में भी 3–4 प्रतिशत एवं राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना में मात्र 0.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी ही की गयी है जबकि पीएमजीएसवाई में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की गयी है।

अतः केन्द्रीय बजट में इन महत्वपूर्ण केन्द्रीय योजनाओं खासकर सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के आवंटन में समुचित बढ़ोतरी नहीं किये जाने के परिणाम इन योजनाओं के लक्षित सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों, समूहों एवं लोगों के लिये विपरित रहेंगें।

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने साल 2017-18 हेतु पेश किया राज्य बजट

राजस्थान की मुख्यमंत्री महोदया वसुंधरा राजे ने 8 मार्च, 2017 को वर्ष 2017–18 के लिये बजट पेश किया। इस बजट में समाज के विभिन्न वर्गों– युवाओं, किसानों, महिलाओं तथा आमजनों के साथ विभिन्न क्षेत्रों– शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल एवं कृषि इत्यादि हेतु विभिन्न घोषणाएं की गयी है। इसके अलावा केन्द्र सरकार की तरह राज्य बजट में भी आयोजना एवं गैर आयोजना वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया है। मोटेतौर पर देखा जाये तो वर्ष 2017–18 के लिये कुल 1. 81 लाख करोड़ रूपये का बजट पेश करते हुए राज्य सरकार ने 13528 करोड़ रूपये के राजस्व घाटा तथा 24753 करोड़ रूपये के राजकोषीय घाटा होने का अनुमान लगाया है। हलांकि आने वाले वर्ष में राजस्व घाटे को न्युनतम रखने तथा राजकोषीय घाटे को राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 2.99 प्रतिशत पर रखने का लक्ष्य रखा गया है, परन्तु वर्तमान वित्तिय वर्ष में भी राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3.37 प्रतिशत रहने का अनुमान है। सरकार की कुल देनदारीयां भी इस वर्ष 2.53 लाख करोड़ है जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 33.79 प्रतिशत है जबकि यह वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 25 प्रतिशत तक ही होना चाहिये। वर्ष 2017–18 में सरकार की कुल देनदारीयां 2.78 लाख करोड़ तक हो जायेंगी। जाहिर है इससे सरकार का ब्याज पर खर्च भी बढ़कर 19626 करोड़ रूपये हो जाने का अनुमान है, जो इस वर्ष 17734 करोड़ रूपये है।

राज्य के विभिन्न वर्गों, सामाजिक–आर्थिक समूहों एवं विषयों के संदर्भ में साल 2017–18 के राज्य बजट का विस्तृत विश्लेषण बजट समाचार के आगामी अंक में प्रस्तुत किया जायेगा।

सेवा में, बुक पोस्ट

श्रीमान / श्रीमती.....

.....

..... पिन कोड .....

संपादक – नेसार अहमद
संपादक मण्डल – महेन्द्र सिंह राव
– भूपेन्द्र कौशिक
– बरखा माथुर
– मौलीश्री धस्माना
सहयोग – अंकुश वर्मा
– भीमसिंह मीणा
सलाहकार – डॉ जिनी श्रीवास्तव

विभिन्न विभागों की बजट सम्बन्धी विस्तृत जानकारी एवं बजट समाचार के लिए आप हमसे निम्न पते पर सम्पर्क कर सकते हैं :-

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र
पी–1, प्रथम तल, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
फोन / फैक्स : (0141) 238 5254
E-mail : info@barcjaipur.org website : www.barcjaipur.org